



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



मिसिल संख्या :- 9-HRB022/2017-CHA

दिनांक: 08-11-2019

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
हरियाणा सरकार,  
हरियाणा सिविल सचिवालय,  
चण्डीगढ़ - 160001

विषय:- Diversion of 4.293 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Faridabad for construction of 2 lane connecting Faridabad-Jasana-Chirsi-Manjhawali-Shekhpur road, under forest division and District Faridabad, Haryana. (online Proposal No. FP/HR/Road/15887/2015)

संदर्भ 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 6827/3753 दिनांक 30.01.2017


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में इस कार्यालय के मम संख्यक पत्र संख्या दिनांक 25.09.2017 द्वारा सैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिस की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-6827/3129 दिनांक 04.11.2019 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतु 4.293 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान करती है।

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधे काटे जायेंगे। काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 202 और पौधों की संख्या 867 से अधिक नहीं होगी से अधिक नहीं होगी।
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Ballabgarh Distributry RD 13 to 36 and Gocchi Main Drain RD 201-214, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 56,23,830/- रूपये (Rs. Fifty six lakh twenty three thousand eight hundred & thirty only) की राशि से 8586 पौधे लगाकर किया जायेगा।
- iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Ballabgarh Distributry RD 13 to 36 and Gocchi Main Drain RD 201-214, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 11,35,770/- रूपये (Rs. Eleven lakh thirty five thousand seven hundred & seventy only) की राशि से 1734 पौधे लगाकर किया जायेगा।
- v. प्रतिपूर्ति और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- vi. वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
- vii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
- viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- ix. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी। और
- x. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xiii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।

- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- xv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः बैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xviii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xix. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,  
  
 (सी० डी० सिंह) 08/11/2011  
 उप-वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण परिवर्तन जलवायु एवं वन मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Pr. Chief Conservator of Forests, Haryana Forest Department, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.
3. The Nodal Officer-cum-CF (FC), Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009
4. The Nodal Officer (CAMPA), Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009.
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Faridabad, Haryana
6. The Executive Engineer, Provincial Division No. 1, PWD B&R Br., Faridabad, Haryana.